




फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रूपनगढ, जिला-अजमेर
राजेश कुमार बनाम तहसीलदार रूपनगढ

किस्म मुकदमा- धारा 188 राज0 कारत0 अधि0

नम्बर- 46 वर्ष-2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
05.08.2024	यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा-188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वाद-पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक- 04.09.2024 को पेश हो।	
4-9-24	<p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)</p> <p>अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. प्रति. सं. 1, 2 के P.O. साहव दौरे/अवकाश पर पधारे है। सम्पन्न तामिल-अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक शुक्रा प्रात) 25-9-24 को पेश हो।</p>	
25-9-24	<p>अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहव दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9-10-24 को पेश हो।</p>	
9-10-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहव दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-10-24 को पेश हो।</p>	
16-10-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। जवाब प्राप्त नहीं, इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 6-11-24 को पेश होगी।</p>	
6-11-24	<p style="text-align: right;"> उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। जवाब प्राप्त नहीं, इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 29-11-24 को पेश होगी।</p>	
29-11-24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में विज्ञो करना जाहिर किया, अतः वादी का वाद जरिये</p>	<p>राजस्व वाद पत्र की विज्ञो करता हूँ।</p> <p style="text-align: right;"></p>

मु. नं. ५६/२५ राजेश कुमार / तहसील रूपनगढ़

विड्योल खारिज किया जाता है

पश्चात्तः प्रेसल कुमार होकर नम्बर
से काम हो

M. K.
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)